अधिकारियों की अनुपरिषति में कार्य संपादन

कमांक 2 के अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनका आवश्यक कार्य अन्य आदेश होने तक निम्नानुसार कमांक 3 एवं 4 के अधिकारीगण सम्पादित करेंगे ।

क.	अधिकारी जिनकी अनुपस्थिति पर कार्य संपादित किया जाना	अधिकारी जो कार्य संपादित करेंगे	क. 3 की अनुपस्थिति में अधि.कार्य संपादित करेंगे
1.	2.	3.	4.
1.	प्रमुख सचिव, विधि	श्री आर०के०वाणी, अतिरिक्त सचिव	अतिरिक्त सचिव श्री अमिताभ मिश्र.
2.	श्री आर०के० वाणी,	श्री अमिताभ मिश्र,	श्री राजेश यादव,
	अतिरिक्त सचिव	अतिरिक्त सचिव	अतिरिक्त सचिव
3.	श्री अमिताभ मिश्र,	श्री राजेश यादव,	श्री आर0के0 वाणी,
	अतिरिक्त सचिव	अतिरिक्त सचिव	अतिरिक्त सचिव
4.	श्री राजेश यादव,	श्री आर०के०वाणी,	श्री परितोष तिवारी,
	अपर सचिव	अपर सचिव	उप सचिव
5.	श्री ए.पी. खेर,	श्री परितोष कुमार तिवारी,	श्रीमती सुशीला परते,
	उप सचिव	उप सचिव	अवर सचिव
6.	श्री परितोष तिवारी,	श्री प्रीतेश्वरी तिवारी,	श्री राजेश यादव,
	उप सचिव	अवर सचिव	अपर सचिव
7.	श्रीमती सुशीला परते,	श्रीमती रजनी पंचौली,	सुश्री क्षमा तिवारी,
	अवर सचिव	अवर सचिव	उप सचिव
8.	सुश्री क्षमा तिवारी,	श्रीमती सुशीला परते,	श्री प्रीतेश्वरी तिवारी,
	उप सचिव	अवर सचिव	अवर सचिव
9.	श्रीमती क्षिप्रा देशमुख,	श्रीमती रजनी पंचौली	कु. क्षमा तिवारी,
	अवर सचिव	अवर सचिव	उप सचिव
10.	कु. प्रीतेश्वरी तिवारी,	श्रीमती क्षिप्रा देशमुख,	श्री सी०एल०मुकाती,
	अवर सचिव	अवर सचिव	अवर सचिव.
. 11.	श्रीमती रजनी पंचौली,	सुश्री क्षमा तिवारी,	श्री आर०पी०गुप्ता,
	अवर सचिव	उप सचिव	अवर सचिव.
12.	श्री सी0एल0मुकाती,	श्रीमती सुशीला परते,	श्रीमती रजनी पंचौली,
	अवर सचिव	अवर सचिव	अवर सचिव
13.	श्री आर0पी0गुप्ता,	सुश्री प्रीतेश्वरी तिवारी,	श्री सी0एल0मुकाती,
	अवर सचिव	अवर सचिव	अवर सचिव.

लेखा अधिकारी

सुश्री उमा तिवारी, श्री सी०एल०मुकाती अवर सचिव

श्री ए.पी. खेर, उप सचिव

नोट :-

- कालम 3 एवं 4 के अधिकारीगण भी अनुपस्थित हो तो कालम 4 में वर्णित अधिकारी का आवश्यक 1. कार्य देखने के लिए जो अधिकारी अधिकृत हैं वे कालम 2 में वर्णित उस अधिकारी का कार्य देखेंगे।
- यदि किसी दिन वरिष्ठ अतिरिक्त सचिव उपस्थित न हो तो संबंधित आवश्यक कार्य का, निष्पादन 2., उपलब्ध अतिरिक्त सचिव द्वारा किया जायेगा ।
- यदि किसी दिन समस्त अतिरिक्त सचिवगण की अनुपरिथिति में उनका आवश्यक कार्य उपलब्ध 3. वरिष्ठ उप सचिव द्वारा किया जावेगा ।

समस्त अवर सचिव की अनुपस्थिति में उनसे संबंधित कार्य उपलब्ध कनिष्ठतम उप सचिव द्वारा 4. संपादित किया जावेगा ।

(सी०व्ही०सिरपुरकर)

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,